प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
18 दिसंबर 2025

सीएजी का सीमा शुल्क पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत!

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व विभाग -सीमा शुल्क और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशालय विदेश व्यापार के कार्यों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 2025 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 21 को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में 50 पैराग्राफ हैं जिनमें एक विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है, इनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹***747*** करोड़ है। मंत्रालयों/विभागों ने 49 पैराग्राफों को स्वीकार किया हैं और एससीएन जारी करके, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में ₹21 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत मूल्यांकन के 39 मामलों में ₹14 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं:

I. वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारणों को 203 निरीक्षण रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें 1,894 लेखापरीक्षा आपत्तियां थीं और जिनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹1,779 करोड़ था। इनमें से, इस प्रतिवेदन में ₹747 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 50 लेखापरीक्षा आपत्तियां को शामिल किया गया है जिन्हें जनवरी से मई 2025 के दौरान दोनों मंत्रालयों को जारी किया गया था । शेष मामलों पर संबंधित क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्रालयों/विभागों 50 में से 49 पैराग्राफों को स्वीकार किया हैं और एससीएन जारी करके, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में ₹21 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत मूल्यांकन के 39 मामलों में ₹14 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

{पैराग्राफ 2.6}

II. भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) एवं भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा - *अध्याय III*

विदेश व्यापार नीति 2015-20 की दो योजनाओं - एमईआईएस एवं एसईआईएस के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी और ₹**724.96 करोड़** के राजस्व वाले परिणामों को सूचित किया गया है।

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित हैं:

- एमईआईएस एवं एसईआईएस दोनों योजनाओं से संबंधित स्वचालन में कमियों को दूर करने एवं आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020 की संख्या 5 में की गई सिफारिशों के बावजूद, मंत्रालय/डीजीएफटी द्वारा उन सिफारिशों को लागू करने में कमी पाई गई, जिसका प्राथमिक कारण कि दोनों योजनाएं बंद कर दी गईं।
- योजनाओं को बंद करने के बाद भी, दोनों योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या (सरकारी व्यवस्था के अनुसार) काफी अधिक थी एवं इसमें शुल्क के क्रेडिट के माध्यम से गलत प्रोत्साहन का बहिर्गमन सम्मिलित था, यदि पहले की सिफारिशों को लागू किया गया होता तो उसे टाला जा सकता था।
- प्रणालीगत दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एमईआईएस एवं एसईआईएस लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का स्वचालन किया था, लेकिन स्वचालन प्रणाली में कमियाँ तथा सत्यापन संबंधी कमज़ोरियाँ भी बनी रहीं, जिसके लिए भौतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता बनी रही थी। इससे संसाधन में पर्याप्त विलंब हो रहा था, जो कि नमूना मामलों (क्रमशः एमईआईएस एवं एसईआईएस) में 39 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत में देखा गया । यह प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
- अन्य बातों के साथ-साथ जो प्रणालीगत मुद्दें देखे गए, उनमें अस्वीकृत ईकाई सूची में शामिल फर्मों को तथा वे फर्मों जिनके नाम संबंधित विशिष्ट पहचानकर्ता-आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) में नामों से मेल नहीं खाते हैं, को स्क्रिप्सों का गलत जारी करना, दोहरे निर्यात लाभों का लाभ उठाने वाले, समयावधि समाप्त दावों/शिपिंग बिलों के लिए जारी किए गए स्क्रिप्स, लेट कट के न लगाने / कम लागने के कारण अधिक जारी किए गए स्क्रिप्स, भी सम्मिलित हैं, जिसका कुल निहितार्थ राजस्व ₹185.85 करोड़ हैं|
- अनुपालन परिप्रेक्ष्य से, एमईआईएस योजना के प्रशासन में, लेखापरीक्षा ने अयोग्य उत्पादों को लाभ देने, निर्यातित उत्पादों के गलत वर्गीकरण, गलत प्रोत्साहन दर को अपनाने, निर्यात आय की प्राप्ति न करने या भारतीय रूपये में निर्यात आय की वसूली के कारण कुल ₹132.21 करोड़ के एमईआईएस लाभों का अयोग्य एवं अनियमित अनुदान देखा।

- एसईआईएस योजना के प्रशासन में, ₹406.90 करोड़ के राजस्व वाले एसईआईएस लाभों को गलत तरीके से योग्य सेवाओं, योग्य तरीके से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, सेवाओं का गलत वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा आय की गलत गणना, एसईआईएस लाभ प्रदान करते समय सरकारी करों को बाहर न करने एवं विनिमय दरों को गलत अपनाने के फलस्वरूप गलत तरीके से अनुमति दी गई थी।

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा शिफारिशें निम्नलिखित हैं:

अ. विभाग को लाइसेंस जारी करने की पूरी कार्यप्रवाह प्रक्रिया का स्वचालन हासिल करना चाहिए, जो व्यवसायिक नियमों के साथ प्रतिचित्रित हो, ताकि मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके, प्रक्रिया में विलंब को कम किया जा सके एवं योजनाओं के उपयोग में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। प्रोत्साहनों के दुरुपयोग से बचने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा सेवाओं का वर्गीकरण समान रूप से संरेखित किया जाना चाहिए।

ब. विभाग को स्वचालित प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए तथा साथ ही विदेश व्यापार नीति योजनाओं के सत्यापन एवं मंजूरी की इसकी प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्यूटी स्क्रिप्स/लाभों को नियमानुसार प्रदान किया गया है।

स. डीजीफटी, आरए को निर्देश दे कि वे उन स्थानों पर उचित वसूली कार्रवाई शुरू करें जहां एमईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट, योजना के बंद होने के बाद प्रदान किया गया था, विशेष रूप से परिधान एवं मेड-अप क्षेत्र के संबंध में, जो एक अन्य योजना राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट के लिए पात्र हैं।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.9}

III. सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं और विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना (अध्याय-IV)

उनतालीस सीमा शुल्क आयुक्तालयों, डीजीएफटी के 12 क्षेत्रीय अधिकरणों और नौ विकास आयुक्तों की जांच लेखापरीक्षा में, लागू सीमा शुल्क के कम आकलन और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों, प्रक्रियाओं और निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए, जिसमें ₹22 करोड़ का राजस्व शामिल है।

{पैराग्राफ 4.4.1 से 4.7.3}